क्या महत्वपूर्ण ? कब्र की सुरक्षा या जीवित जनता के अधिकार

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास हमारे देश की ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का उत्तरदायित्व है। किसी भी देश की धरोहर का संबंध उसकी राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान तथा गौरवशाली परम्परा से रहता है। ऐसी राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण देश की युवा पीढ़ी को अपने गौरवशाली भूतकाल से प्रेरणा प्रदान करता है।

राष्ट्रीय अस्मिता व सम्मान, गौरवशाली परम्परा, अद्‌भुत कलाकारी या विशिष्ट वास्तु शिल्प आदि पैमानों पर खरी उतरने से ही किसी प्राचीन इमारत को पुरातात्विक तौर पर पुरातत्व संरक्षण कानून के अन्तर्गत संरक्षण योग्य माना जाना चाहिये न कि सिर्फ 100 वर्ष या उससे अधिक पुरानी होने से ही कोई इमारत स्वत: ऐतिहासिक महत्त्व की व संरक्षीय हो जाती।

'भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण' विभाग के अन्तर्गत आने वाली अधिकर इमारतें मुगलकालीन हैं। उनमें अधिकतर मकबरे (कब्रगाह) ही हैं। इन मकबरों का आम भारतीय व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं है व न ही इनमें कोई ऐसी कारीगरी (ताजमहल जैसे कुछ एक स्मारकों को छोड़कर) है, जो दर्शनीय तथा संरक्षणीय हों। जंतर-मंतर विज्ञान की दृष्टि से, कुतुब मीनार वास्तु की दृष्टि से तो दिलवाड़ा व राणकपुर मंदिर कला की दृष्टि से, ताजमहल व अजन्ता अलोरा पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। इन इमारतों का राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय महत्त्व है।

हम आपका ध्यान पुरातत्व संरक्षण कानून 1992 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं व यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि इस हेतु सकारात्मक सोच रख जनता के हित में निर्णय लें।

'भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण' ने 1992 में कानून के प्रावधानों में रद्‌दोबदल कर आनन-फानन में बिना विचारे सभी Protected स्मारकों के 100 मीटर की परिधि के क्षेत्र को Prohibited Area घोषित कर उसके दायरे में भवन निर्माण कार्य पर रोक लगा दी व उक्त 100 मीटर परिधि क्षेत्र के बाद 200 मीटर की परिधि क्षेत्र को Regulated Area घोषित कर संरक्षित स्मारक/मकबरे की सीमा से कुल 300 मीटर की परिधि के क्षेत्र में निर्माण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान रख दिया। शहर के मध्य मकबरों जैसे स्मारकों के कारण उपरोक्त कानून से आम जनता को सिवाय परेशानी के कुछ हासिल नहीं हुआ।

इस तरह प्रत्येक स्मारक के निकट का 40,000 मीटर तक पूर्ण रोक व 3,60,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में हर प्रकार की मरम्मत पुनर्निर्माण या नव निर्माण पर कुछ शर्तों के साथ रोक लगा दी गयी इससे इस विशाल परिधि क्षेत्र के निवासी तथा सम्पत्ति धारक असहज जीवन व्यतित करने पर मजबूर हो गये। न मरम्मत करा पाते हैं न बढ़ते परिवार की आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्निर्माण/नव-निर्माण करा सकते हैं। न ही बेच पाते हैं, कारण सम्पत्ति की कीमत बाजार मूल्य से एक चौथाई भी नहीं रह जाती, क्योंकि इसके उपयोग पर प्रतिबन्ध है जबकि सम्पत्ति कर उतना ही देना पड़ता है। इस तरह के कानून से सम्मत्ति धारक को अप्रत्यक्ष रूप से दीर्घकालीन आर्थिक हानि पहुंचाने का क्या सरकार को हक है? कम से कम एक ही मापदण्ड का सभी स्मारकों के लिए प्रावधान करना नितांत अनुचित, भेदभावकारी तथा एकतरफा होगा।

आधे अधूरे या बिना गंभीर चिंतन के कानूनी प्रावधानों से ऐसी परिस्थितियों को न पैदा किया जाय कि कानून का शत् प्रतिशत पालन करने वाले को भी कभी विवश होकर अपने व जन साधारण के अस्तित्व की रक्षा के लिए न चाहते हुए भी कानून तोड़ना पड़े।

उदाहरण के लिए:- किसी व्यक्ति का घर Prohibited क्षेत्र में है। एक ट्रक द्वारा दुर्घटना घटती है व उसके घर का मुख्य द्वारा, दिवार व सामने के कमरे की दिवार टूट जाती है। कमरा उसकी जवान बेटी का है। कानून का शत् प्रतिशत पालन करने वाला व्यक्ति अपने मकान व परिवार की रक्षा के लिए बिना समय गंवाये कमरे की दिवार व मकान को मुख्य द्वार व दिवार को बनवाता है यह जानते हुए भी कि Probibited क्षेत्र में निर्माण कराना अपराध है। अपराध होते हुए भी विवश है वह यह कार्य करने के लिए।

हम अन्य स्मारकों की चर्चा में न जाकर मात्र उस स्मारक की चर्चा कर रहे हैं जिसके कारण हमारे अधिकार प्रभावित हुए हैं। वह स्मारक है नई दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन भाग-1 के 'डी' ब्लॉक मार्केट में स्थित छोटे खाँ, बड़े खाँ व भूरे खाँ के स्मारक।

बड़े खाँ, छोटे खाँ व भूरे खाँ के मकबरों का इतिहास सम्भवतया पुरातत्व विभाग को भी मालूम न हो। इन व्यक्तियों की क्या खास बात थी कि उनके मकबरे इतने बड़े बनाये गये। क्या पुरातत्व विभाग ने यह जानने की कोशिश की कि ये तीनों खाँ जनता के सेवक थे या शोषण करने वाले।

ये किसके स्मारक हैं, कौन-कौन से सन् में बने व क्यों बनाये गये, इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं। अनजान व्यक्ति की कब्र को Protect करने के कारण वर्तमान में उसके आस-पास रह रही जनता जिन्होंने अपना आशीयाना बनाने के लिए कानूनन ज़मीन खरीदी, उनके अधिकारों को Protect नहीं किया जा रहा।

इन कब्रों की इमारत को जब तक संरक्षित नहीं किया गया तब तक नुकसान नहीं हुआ चाहे उसके 50 फुट की दूरी पर बेसमेन्ट की खुदाई हुई व बड़ी-बड़ी इमारतें बनी फिर संरक्षित होने व पुरातत्व विभाग द्वारा सार-सम्हाल करने के बाद कैसे खतरा हो सकता है, विचारणीय बिन्दु है।

बड़े खाँ, छोटे खाँ तथा भूरे खाँ का स्मारक घोषित करना क्या तर्कसंगत है एवं धारा 2 (a) के मापदण्डों पर खरे उतरते हैं? इन तीन व्यक्तियों का इतिहास, समाज में योगदान तथा मकबरे के ऐतिहासिक महत्त्व का उल्लेख मकबरे में तो क्या संभवतया पुरातत्व विभाग के पास तक नहीं।

कुल 4 मीटर की कब्र व 40-50 वर्ग मीटर के मकबरे के लिए 40, 000 वर्ग मीटर से अधिक जगह Prohibited क्षेत्र व 3,60,000 वर्ग मीटर से अधिक की जगह Reguleted क्षेत्र घोषित होने से एक मकबरे (कब्र) के कारण कितना बड़ा क्षेत्र अनुपयोगी हो गया, इसका आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं व ऐसे मकबरे/स्मारकों की हमारे देश में भरमार है जिनका राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर कोई विशेष महत्त्व नहीं। न यह जानकारी की इन स्मारकों को कब, किसने व क्यों बनाया? व उन्हें Protected किस आधार पर किया? हो सकता है पुरातत्व की दृष्टि से उन सभी स्मारकों का रख रखाव जरूरी है लेकिन सभी के लिए Prohibited and Regulated क्षेत्र घोषित किया जाय जरूरी नहीं। जिसमें कब्रगाहों पर खड़े ढांचे के लिए तो ऐसा कानून किसी भी बिन्दु से उचित नहीं (मात्र एक ताजमहल को छोड़कर, जिसके लिए इतना क्षेत्र पहले से ही खाली है) इस तरह की स्थिति में हमें विचार करना होगा कि क्या ऐसी कब्रों/स्मारकों का संरक्षण महत्वपूर्ण है या जनता की सुविधा? अतः संबंधित कानून में अविलम्ब सुधार अत्यन्त आवश्यक है। इस ज्वलन्त प्रश्न पर एक राष्ट्रीय बहस की आवश्यकता है कि किसी मकबरे/स्मारक को संरक्षणीय बनाने के लिये क्या मापदण्ड होने चाहिए एवं संरक्षण के लिये कितना क्षेत्र आवश्यक है। अलग-अलग स्मारक के लिए Prohibited व Regulated Area का क्षेत्रफल भी अलग-अलग हो।

किसी भी स्मारक को संरक्षणीय घोषित करने के क्या मापदण्ड होने चाहिए? क्या राष्ट्रीय सम्मान व अस्मिता, गौरवशाली परम्परा, अद्‌भुत कलाकारी अथवा विशिष्ट वास्तुशिल्प आदि मापदण्डों पर खरी उतरने पर ही किसी स्थान को संरक्षणीय स्मारक घोषित करना उचित होगा या सिर्फ 100 वर्ष प्राचीन होने के कारण ही?

क्या पुरातत्व विभाग ने सभी संरक्षित/अधिसूचित स्मारकों तथा उनके नायकों का कोई प्रामाणिक इतिहास लिपिबद्ध तथा प्रकाशित करवाया है? राष्ट्रीय गौरव में उन नायकों का क्या योगदान रहा है? बड़े खाँ, छोटे खाँ एवं भूरे खाँ का इतिहास तथा समाज में उनका क्या योगदान है, अभी तक सभी अनजान हैं।

Protected Monument घोषित करना एक बात है लेकिन उसके लिए उसके चारों तरफ कितना क्षेत्र Prohibited and Regulated होना चाहिए यह उसके पर्यटन महत्त्व, पर्यटकों की संख्या, कला, वास्तु शिल्प व उस स्मारक की मज़बूती व आवश्यकता के अनुसार तय होना चाहिए। इसमें भी यह ज़रूर ध्यान रखा जाना चाहिये कि स्थानीय लोग कुप्रभावित न हों। स्थानीय लोगों की आवश्यकता व स्मारक की आवश्यकता दोनों का मूल्यांकन सही-सही होना चाहिए।

पूरे भारत में जगह-जगह पुरातत्व संपदा जंगलों तथा अन्य खुले स्थानों में बिखरी पड़ी है, परन्तु उनके संरक्षण के लिये विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं करवाकर सिर्फ दिल्ली या प्रसिद्ध स्थलों की चुनिंदा जगहों पर अपना ध्यान केंद्रित करना, क्या उचित है? क्या यह पूरे देश में पुरातत्व संपदा के संरक्षण के उत्तरदायित्व से मुँह मोड़ना नहीं?

सौंदर्यीकरण से ही क्या किसी स्मारक का संरक्षण किया जा सकता है? क्या विभाग सिर्फ ठेकेदारों की चांदी करवा कर अपना हित साधता है? जबकि कब्रों पर मिट्‌टी की परतें जमीं हैं व मकबरों का गोदाम के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। मकबरों के पास बच्चे क्रिकेट या फुटबॉल आदि खेलते रहते हैं। कुछ जगह खुले आम जुआ व अनैतिक कार्य होते हैं।

फिर भी अगर आम जनता के अधिकारों की रक्षा से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है अनजान व्यक्तियों के कब्रों की रक्षा करना तो सरकार को चाहिए कि उस ज़मीन का अधिग्रहण कर बाज़ार मूल्य 3,00,000/- रुपये से 8,00,000 प्रति गज + उस पर ढांचे की कीमत का मुआबजा दें। राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करनी है तो मात्र उसके लिए उस धरोहर के आसपास रहने वालों को ही क्यों खामीयाजा भुगतना पड़े पूरे देश के करदाताओं

का पैसा व आहूती लगे व उस धरोहर के कारण प्रभावित लोगों को उनका मुआवजा मिले, अन्यथा उन धरोहरों की Prohibited and Regulated Area को खत्म कर दिया जाय ताकि लोग अपनी सम्पत्ति का भरपूर उपयोग करने का अधिकार पा सकें।

शीघ्र निर्णय लें कि क्या आवश्यक है कब्र की सुरक्षा या जीवित जनता के अधिकारों की सुरक्षा?

समय के अनुसार कानून में संशोधन किया ही जाता है। उसे और अधिक जन उपयोगी व देश हित के लिए संशोधित किया जाता रहा है व आवश्यकतानुसार किया भी जायेगा। परिवर्तन का यह सिद्धान्त भी है कि समयानुसार परिवर्तन, परिवर्द्धन, संशोधन व अपमार्जन किया ही जाता है।

विभाग के मंत्री तथा अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व बनता कि उनके पास आये ज्ञापनों/पत्रों का उत्तर देवें, दूसरे पक्ष की सुनकर निर्णय करें एवं किसी भ्रम अथवा गलत जानकारी के कारण यदि कभी गलत निर्णय/आदेश हो भी गया हो तो इंगित होने के उपरान्त यथाशीघ्र गलती का निस्तारण कर संबंधित व्यक्ति के साथ न्याय करें?